तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख, अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6/2025 मांगली बेरट सो./सरकार	
11.11.25	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 18.11.25 को पेश हो।	
18.11.25	वकुलाप उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई. तत्पश्चात बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.11.25 को पेश हो।	
25.11.25	वकुलाप उपस्थित। आज पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/12/25 को पेश हो।	
15/12/25	वकुलाप उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई है। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन रहा कि राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 19/01/1984 की पालना में मार्गदर्शन चाहा गया है तो राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुये बिना मूल प्रार्थनापत्र सं. 74/2023 में पारित आदेश दिनांक 27/01/25 न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण होने से रोका जाना था तथा अन्य व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। उक्त अनाधिकृत आवंटन को मूल प्रार्थनापत्र खारिज करने का आधार	

जिला कलेक्टर; बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6/प्रा-पत्र/25 मांगीलाल बैरवा सो. / सरकार बनाया गया है, जो अनुचित हैं। जिला कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 20/6/1973 को राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निरस्त कर दिये जाने एवं क्षेत्राधिकार से बाहर माने जाने के बावजूद जिला कलक्टर बून्दी के आदेश की पालना में भूमि का अधिग्रहण करके दीगर व्यक्तियों को किये गये आवंटन की वैधानिक रूप से पुष्टि कर दी गई हैं। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 27/01/25 निरस्त किये जाने तथा प्रार्थनापत्र पर पुनः सुनवाई कर उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रभावी निर्णय प्रदान करते हुये मूल प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थनापत्र पर उठाये गये बिन्दुओं पर ही इस न्यायालय में पुनः रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। उक्त बिन्दुओं की मूल प्रार्थनापत्र में पारित निर्णय में विवेचना की जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थनापत्र में न तो नवीन साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये और न ही कोई नवीन तथ्य प्रकट किये गये है, जिसके आधार पर मूल प्रार्थनापत्र की पुनः विवेचना की जावें। पैरोकार सरकार द्वारा रिव्यू प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। जिला कलेक्टर, बून्दी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6/प्रा·पत्र/25 मांगली बेरवा/सरकार	
	न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थिया द्वारा पूर्व में न्यायालय में दायर किया गया प्रार्थनापत्र सं. 74/2023 बाद सुनवाई उभयपक्ष आदेश दिनांक 27/01/25 से निर्णित किया जा चुका है। प्रार्थिया द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं को लेकर रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश किया है, जिनकी मूल प्रार्थनापत्र के निर्णय में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है। रिव्यू प्रार्थनापत्र में प्रार्थिया द्वारा उनके पीड़ित पक्षकार होने के संबंध में तथा वादग्रस्त आराजी पर हिताधिकारी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थिया की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया, जिसके आधार पर आदेश दिनांक 27/01/25 प्रथम-दृष्टयां त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होने से प्रकरण का पुनरावलोकन किये जाने की आवश्यकता हो। उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रिव्यू प्रार्थनापत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। आदेश आज दिनांक 15/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	जिला कलेक्टर, बून्दी	